भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 48

29.01.2026 को उत्तर के लिए

छत्तीसगढ़ में पारिस्थितिक क्षरण, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान

48. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पारिस्थितिक क्षरण, वनों की कटाई और जैव विविधता हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत राज्य में, विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में, परियोजनाओं के लिए आवंटित और वितरित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बस्तर क्षेत्र में केंद्रीय निगरानी को सुदृढ़ करने, पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन को लागू करने और वन एवं जलग्रहण क्षेत्रों की समयबद्ध पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्विवार्षिक आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वन आवरण आकलन रिमोट सेंसिंग पर आधारित एक वॉल-टू-वॉल मानचित्रण कार्य है, जिसे राष्ट्रीय वन सूची के गहन भू-सत्यापन और क्षेत्र डेटा द्वारा समर्थित किया जाता है।

जैव विविधता, वन और वृक्ष संसाधनों और पारिस्थितिकी की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। पारिस्थितिक क्षरण, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए कानूनी और नीतिगत ढाँचे हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम,

1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, जैविक विविधता अधिनियम, 2002, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल हैं, जिसके तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उनमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करते हैं।

(ख) और (ग): मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) और प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमएपी) के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी के प्रबंधन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को मिशन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत समाहित किया गया है। वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रीन इंडिया मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ₹2.83 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, कैम्पा के तहत, राज्य कैम्पा को संचालन की स्वीकृत वार्षिक योजनाओं के आधार पर राशि जारी की जाती है; वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ₹5,257.65 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए राज्य वन विभाग द्वारा योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ₹4,010.43 करोड़ का उपयोग करने की सूचना दी गई है।

इसके अलावा, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर और वर्तमान वर्ष में भी देश भर में वृक्षारोपण कार्यकलापों को शुरू करने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ माँ के नाम # Plant4Mother" शुरू किया गया है। यह अभियान देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस अभियान ने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने में योगदान दिया है, जिससे देश में हरियाली बढ़ाने में मदद मिली है।

इन योजनाओं के तहत गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा निर्धारित तंत्रों के माध्यम से की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत संचालन की वार्षिक योजनाओं की स्वीकृति और प्रगति तथा उपयोग की रिपोर्टों की जांच शामिल है, जबकि कार्यकलापों का कार्यान्वयन और लागू अधिनियमों और नियमों का अनुपालन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

*****